उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग&1,
संख्या- 1261/35&1&2015-2/1(86)/2014,
लखनऊ : दिनॉक : 03 दिसम्बर, 2015

कार्यालय&ज्ञाप

प्रदेश के ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाते हुये जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने तथा बडे. पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति - 2014 लागू की गई है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1569/35-1-2014-2/1(86)/2014, दिनॉक 14 नवम्बर, 2014 निर्गत किया जा चुका है। जैव ऊर्जा वृक्षारोपण के गैस्टेशन पीरियड के दौरान किसानों की स्थायी आय वृद्धि एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य वर्धन हेतु देश/प्रदेश की भूमि में पूर्व से उत्पादित हो रही विभिन्न औषधीय एवं संगध पौधों/पुष्पों/कन्दों आदि की व्यावसायिक कृषिकरण तथा मूल्य संवर्धन हेतु उच्च स्तरीय निर्णयोपरान्त शासनादेश संख्या-2587/अडतीस-7-2008-351एन0आर0इ0 जी0ए0/2008, दिनॉक 31 अक्टूबर, 2008 तथा शासनादेश संख्या- 1085/अडतीस-7-2015-156 मनरेगा/2012, दिनॉक 05 जून, 2015 निर्गत करते हुये इसके क्रियान्वयन हेतु लाइन विभाग के रूप में नामित बायो इनर्जी मिशन सेल को सुदृढीकृत करते हुये इसके स्थान पर "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त से आच्छादित योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू/समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(अ) उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	अधिकारी का विवरण (पदेन)	पदनाम
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य

5.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण लघु एवं मध्यम उद्योग	सदस्य
9.	राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल,नियोजन विभाग	सदस्य संयोजक

(ब) योजनाओं के क्रियान्वयन प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय उक्त बोर्ड द्वारा ही लिये जायेंगे।

3. बोर्ड के अधिकार एवं दायित्व : बोर्ड के संविधान के अनुसार प्रदत्त समस्त दायित्व एवं अधिकार निम्नवत् है :-

3.1 बोर्ड के उद्देश्यों एवं निर्धारित कार्यो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था का संचालन करना, आवश्यकतानुसार संविधान में वांक्षित संशोधन करना।

3.2 बोर्ड का वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना तैयार करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

3.3 बोर्ड द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना को लागू करने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य वित्तीय संगठनों से प्रत्यक्ष अथवा सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित समान उद्देश्य की परियोजनाओं से प्रोजेक्ट मोड में प्राप्त कर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

3.4 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथा आवश्यकता वित्तीय संसाधन कन्वर्जेन्स के माध्यम से प्राप्त कर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

3.5 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित विषयवस्तु विशेषज्ञों/सलाहकारों का पैनल/ समिति/उपसमिति का गठन करना एवं उनके विशेषज्ञ परामर्श को समयबद्ध तरीके से लागू करना।

3.6 बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर विभिन्न संवर्ग के आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उस पर योग्य अभियर्थियों का चयन/तैनात करना, उनका पारिश्रमिक एवं उनके दायित्व निर्धारित करना।

3.7 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपदवार/जलवायु जोनवार दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु वांछित संसाधनों का आंकलन करना।

3.8 जैव ऊर्जा विकास तथा औषधीय एवं संगन्ध पौध उत्पादन कार्यक्रम हेतु पूर्व से कार्यरत संगठनों/संस्थानों/विभागों के साथ आवश्यक समन्वय कर प्रारम्भिक विकास जैसे- नर्सरी की स्थापना, वृक्षारोपण, विधायन/उत्पादन इत्यादि हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना।

3.9 जैव ऊर्जा सेक्टर में पब्लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप के अन्तर्गत वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म के अन्तर्गत इस सेक्टर में कार्यरत अग्रणी प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों/उद्यमियों के साथ कार्य करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

3.10 प्रदेश में उपलब्ध कृषि, औद्यानिकी एवं चारागाह हेतु पूर्णत: अनुपयुक्त भूमि की उपलब्धता की जनपदवार/क्षेत्रवार सर्वेक्षण कर सूची तैयार करना तथा उस पर जैव ऊर्जा पौध रोपण तथा बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्य सुनिश्चत करना।

3.11 परियोजनाओं के भौतिक प्रगति की मानिटरिंग करना।

3.12 बोर्ड के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा अंकेक्षण की व्यवस्था करना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

3.13 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मान्य मानकों के अन्तर्गत चल-अचल सम्पत्ति का दान प्राप्त करना, बोर्ड के वर्तमान भवन/कार्यालय में आवश्यक संशोधन तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय हेतु नये भवन का निर्माण करना।

3.14 बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं के दौरान सृजित लाभांश को समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियमानुसार निवेश करना/विनिवेश करना।

3.15 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भविष्य में समय-समय पर लागू होने वाले शासनादेशों/निर्देशों/नोटिफिकेशन्स को लागू करना।

उक्त अधिकारों का निर्वहन एवं दायित्वों का क्रियान्वयन बोर्ड की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या- (1)1261/35&1&2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/ ग्रामीण विकास मंत्रालय/पंचायतीराज मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय/ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
10- रजिस्ट्रार, सोसाइटीज चिट्स फण्ड एवं फर्म्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड"** के गठन की कार्यवाही शीघ्र निस्तारित करें।
11- विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग-1/2/3/4
12- राज्य योजना आयोग-1/2/राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागाध्यक्ष।
13- राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0/सदस्य संयोजक **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" ।**
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।